[2019] 13 एस. सी. आर. 1056

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस.

वी.

प्रदीप कुमार और ओआरएस।

(2019 की सिविल अपील संख्या 8259)

24 अक्टूबर, 2019

[आर. भानुमति, ए. एस. बोपन्ना और हृषिकेश रॉय, जे. जे.]

सेवा कानूनः

एन. सी. टी. में विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती

दिल्ली की-आवश्यक योग्यता जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ केंद्रीय थी

शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी. टी. ई. टी.)-ओ. बी. सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए, भर्ती विज्ञापन में ऐसे उम्मीदवारों के पास होना आवश्यक है

सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। दिल्ली के-उत्तरदाता/उम्मीदवार,

जिनके पास अपने संबंधित राज्यों (दिल्ली नहीं) से सी. टी. ई. टी. में योग्यता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्राप्त करके सी. टी. ई. टी. योग्यता थी, उन्होंने ओ. बी. सी. की आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया और लिखित रूप में उपस्थित हुए। परीक्षण-उन्हें उम्मीदवारी से वंचित कर दिया गया क्योंकि वे पात्र नहीं थे

सी. टी. ई. टी. ने ओ. बी. सी. बाहरी व्यक्ति के रूप में अर्हता प्राप्त की थी, न कि दिल्ली से-उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ मूल आवेदन था

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अधिकारियों को निर्देश देने की अनुमति

उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में उनकी योग्यता की स्थिति पर विचार करके नियुक्त करना-उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा गया था

- उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः चूंकि उम्मीदवार नहीं हैं

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, जिन्होंने छूट का लाभ उठाया था योग्यता.

आरक्षण-संविधान के तहत आरक्षण के सिद्धांतों का उद्देश्य एक विशेष रूप से निर्धारित श्रेणी तक सीमित रहना है।

और योग्यता और योग्यता के कमजोर होने से बचने के लिए अनारक्षित श्रेणी को संरक्षित किया जाना चाहिए।

1056 जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस. वी. प्रदीप कुमार और ओआरएस।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. ओ. बी. सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए

विज्ञापन संख्या 1/13 के खंड 6 (iii) के अनुसार, ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के पास उनके द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक था।

सरकार. केवल दिल्ली से। इसलिए, दिल्ली भर्ती प्रक्रिया में, उत्तरदाताओं के पास ओ. बी. सी. (दिल्ली) प्रमाण पत्र नहीं था और इसलिए उन्हें ओ. बी. सी. श्रेणी की रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, सी. टी. ई. टी. दिशानिर्देशों के अनुसार, अनारक्षित उम्मीदवारों को सी. टी. ई. टी. में अर्हता प्राप्त करने के लिए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। चूंकि उत्तरदाताओं ने सी. टी. ई. टी. में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी केवल ओ. बी. सी. श्रेणी के तहत ही वैध हो सकता है। हालाँकि एन. सी. टी., दिल्ली सरकार द्वारा ओ. बी. सी. दर्जे का प्रमाण पत्र न होने के कारण और भर्ती विज्ञापन के खंड 6 (iii) के आधार पर जो बाहरी ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण को रोकता है, उत्तरदाता आवेदन किए गए पद के लिए अयोग्य हैं। यदि वे न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ सी. टी. ई. टी. उत्तीर्ण करते हैं तो वे अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। जाहिर है कि किसी भी उत्तरदाता को दिल्ली के जी. एन. सी. टी. द्वारा ओ. बी. सी. के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही उनके पास विज्ञापन के अनुसार एक स्तरीय परीक्षा के लिए योग्यता के लिए सी. टी. ई. टी. में आवश्यक 60 प्रतिशत अंक हैं। एक ओ. बी. सी. उम्मीदवार जो दिल्ली के बाहर राज्य/क्षेत्र में प्रमाणित नहीं है, ओ. बी. सी. के लिए निर्धारित आरक्षित श्रेणी के पदों में रोजगार का लाभ उठाने का पात्र नहीं हो सकता है जो दिल्ली द्वारा प्रमाणित हैं।

सरकार। [पैरा 14,15 और 23] [1064-बी-एफ; 1067-एफ]

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ओ. एम. एस. दिनांक 01.07.1998 और 04.04.2018 निर्दिष्ट रूप से जारी किया गया

इस आशय के निर्देश कि जब आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के चयन में आयु सीमा में एक शिथिल मानक लागू किया जाता है,

परीक्षा आदि, ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ गिना जाएगा आरक्षित रिक्तियां। प्रवास पर एक एक्सप्रेस बार है

उन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की अनारक्षित श्रेणी जिन्होंने योग्यता सहित छूट का लाभ उठाया था। द.

विज्ञापन में सी. टी. ई. टी. के लिए पात्रता का प्रिस्क्रिप्शन, इसलिए दिनांकित ओ. एम. 01.07.1998 की सामग्री को ध्यान में रखते हुए समझना होगा। विज्ञापन को वर्तमान तथ्यों में लागू करना सही नहीं होगा। वही ओम दिनांकित 01.07.1998।

उन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अनारक्षित श्रेणी में प्रवास पर एक त्वरित प्रतिबंध है, जिन्होंने इसका लाभ उठाया था।

योग्यता सहित छूट। इसलिए विज्ञापन में सी. टी. ई. टी. के लिए पात्रता के प्रिस्क्रिप्शन को दिनांकित ओ. एम. 01.07.1998 की सामग्री को ध्यान में रखते हुए समझना होगा। [अनुच्छेद 21.1 और 22] [1066-बी-सी; 1067-सी-डी]

दीपा ईवी बनाम भारत संघ (2017) 12 एससीसी 680-आश्रित

पर।

3. वर्तमान मामले में, उम्मीदवार (यानी उत्तरदाता) दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के हैं। ओ. बी. सी. (बाहरी) होने के नाते, वे

केवल अनारक्षित श्रेणी के तहत ही विचार किया जा सकता था

यदि वे सी. टी. ई. टी. में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें 60 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ और इस प्रकार वे अपात्र थे।

[पैरा 23] [1067-ई]

4. उत्तरदाता सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस समूह के अन्य सभी लोगों ने अपना सी. टी. ई. टी. प्राप्त कर लिया है।

पात्रता योग्यता, पास मानदंडों में किसी भी छूट का लाभ उठाए बिना सामान्य पास अंक हासिल करना। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने सी. टी. ई. टी. परीक्षा में कम अंकों के बावजूद,

वे केवल इसलिए अर्हता प्राप्त कर सकते थे क्योंकि उन्होंने ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में छूट का लाभ उठाया था। उनकी पात्रता योग्यता ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए निर्धारित नियमों में ढील के तहत सुरक्षित है और इसलिए उन्हें सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए योग्य मानना उचित नहीं है। [पैरा 24] [1067-जी-एच; 1068-ए] 5. सी. टी. ई. टी. योग्यता वाले उत्तरदाता ओ. बी. सी. श्रेणी के पदों के लिए पात्र होंगे बशर्ते उनका ओ. बी. सी. दर्जा दिल्ली द्वारा प्रमाणित और मान्यता प्राप्त हो।

सरकार। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण, वे अयोग्य हैं

आरक्षित श्रेणी के रिक्त पद। उन्हें स्थानांतरित करने और खुली श्रेणी की रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देना नहीं होगा

अनुमति केवल इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्होंने ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित लोगों के लिए उत्तीर्ण अंकों में छूट के साथ सी. टी. ई. टी. योग्यता हासिल की है। चूंकि उत्तरदाताओं ने सामान्य श्रेणी के लिए सामान्य उत्तीर्ण अंक प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए उनकी पात्रता सुरक्षित

नहीं है। इसलिए चयन परीक्षा में उनका प्रदर्शन होगा नहीं है। [पैरा 25] [1068-डी-ई] जीओवीटी।

वर्तमान प्रक्रिया में इसकी कोई प्रासंगिकता

एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस. वी. प्रदीप कुमार और ओआरएस।

6. वर्तमान मामला प्राप्त योग्यताओं से संबंधित है -

पास मार्क्स में रियायत। इस तरह की रियायत का विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती में योग्यता और योग्यता के मानकों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। आरक्षण के सिद्धांत भारत के संविधान के तहत एक विशेष रूप से निर्धारित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी तक सीमित रहने का इरादा है।

योग्यता और योग्यता के कमजोर होने से बचने के लिए इसकी रक्षा की जानी चाहिए। [पैरा 26] [1068-डी-ई]

विकास शंखला और अन्य। वी. विकास अग्रवाल और अन्य। (2017)

1 एस. सी. सी. 350 [2016] 7 एस. सी. आर. 639-विशिष्ट।

मामला कानून संदर्भ

[2016] 7 एस. सी. आर. 239

पै

रा 6

प्रतिष्ठित।

(2017) 12 एससीसी 680

पर भरोसा किया।

पै

रा 22

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 8259

2019 से।

उच्च न्यायालय के 21.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

डब्ल्यू. पी. में नई दिल्ली में दिल्ली का न्यायालय (ग) 2019 की सं. 557।

सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., आर. बाला सुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

महालिंग पांडर्गे, आयुष पुरी, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सचिन चौहान, सुश्री चित्रांगदा

आर., सेलेस्ट अग्रवाल, नितिन चौधरी, आर. सी. कौशिक, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था ऋषिकेश रॉय, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री माधवी दीवान को सुना

अपीलार्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत का प्रतिनिधि। विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री ऐश्वर्या भाटी, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी संख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। 2-6 . प्रत्यर्थियों और कुछ अन्य लोगों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के समक्ष 2014 का ओ. ए. संख्या 1047 दायर किया था और इसे 20.08.2018 (अनुलग्नक पी/5) पर अनुमति दी गई थी। अपीलार्थियों द्वारा परिणामी चुनौती को 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 557 में दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित आदेश के तहत खारिज कर दिया गया था, जिसके कारण वर्तमान अपील की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. यह मामला सरकार के तहत विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती से संबंधित है। दिल्ली के एन. सी. टी. विज्ञापन सं। 01/2013 (अनुलग्नक पी/1) दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी किया गया था, जहाँ पोस्ट कोड 01/13 के विरुद्ध विशेष शिक्षा शिक्षकों की रिक्तियों के लिए निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित की गई थीं:

i) बी. ई. डी. (विशेष शिक्षा) या बी. ई. डी. के साथ स्नातक, विशेष शिक्षा में दो साल का डिप्लोमा या विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा या भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित कोई अन्य समकक्ष योग्यता।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी. बी. एस. ई.) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सी. टी. ई. टी.)।

4. उत्तरदाताओं ने दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आसान उत्तीर्ण मानदंडों के तहत सी. टी. ई. टी. यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा योग्यता प्राप्त की थी। उन्होंने दिल्ली में रिक्तियों के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश की और भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। लेकिन दिनांक 19.02.2014 (अनुलग्नक पी/2) के कार्यालय आदेश के माध्यम से उनकी उम्मीदवारी को पात्र नहीं माना गया। आदेश में उल्लिखित आधार यह है कि आवेदक "सी. टी. ई. टी. ओ. बी. सी. के रूप में योग्य हैं लेकिन ओ. बी. सी. बाहरी हैं"। 5.1 दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के उपरोक्त निर्णय से व्यथित, मूल आवेदकों (संख्या में 9) ने एक साथ कैट के समक्ष 2014 का ओ. ए. सं. 1047 दाखिल किया। आवेदक जो

ओ. बी. सी. श्रेणी के लोगों ने अपने-अपने राज्यों से सी. टी. ई. टी. में योग्यता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्राप्त करके सी. टी. ई. टी. योग्यता प्राप्त की थी, लेकिन लिखित परीक्षा में भाग लिया था।

दिल्ली में रिक्तियों के लिए आयोजित किया गया। कैट से पहले, मूल आवेदकों ने अनुमान लगाया कि उन्होंने पिछले चयनित की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं

सामान्य श्रेणी के तहत उम्मीदवारों और फिर भी, उनकी उम्मीदवारी को इस तथ्य के बावजूद खारिज कर दिया गया था कि चयन के लिए दावा पूरी तरह से भर्ती परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर है। 5.2 हालांकि, सरकार। दूसरी ओर, दिल्ली के एन. सी. टी. ने न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क दिया कि दिल्ली में ओ. बी. सी. श्रेणी की रिक्तियों के लिए लाभ का दावा करने के लिए, ओ. बी. सी. प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए। चूंकि उत्तरदाताओं को दिल्ली में ओ. बी. सी. के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए वे सी. टी. ई. टी. परीक्षा में कम उत्तीर्ण अंकों के साथ सी. टी. ई. टी. मानदंड के अनुसार पात्रता का दावा नहीं कर सकते हैं।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस. वी. प्रदीप कुमार और ओआरएस।

[ऋषिकेश रॉय, जे।]

6. न्यायाधिकरण ने प्रतिद्वंद्वी तर्क पर विचार किया और कहा कि मूल आवेदकों की उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का मतलब यह होगा कि

अपीलार्थी सी. टी. ई. टी. योग्यता को मान्यता नहीं देते हैं। विकास शंखला और ओआरएस पर निर्भर। वी. विकास अग्रवाल और अन्य 1, न्यायाधिकरण ने यह विचार रखा कि अगर अंतिम योग्यता सूची तैयार करने में सी. टी. ई. टी. के अंकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है तो अनारक्षित श्रेणी में मेधावी आवेदकों पर विचार करने पर कोई रोक नहीं होगी। योग्यता सूची में उनकी संबंधित स्थिति के संदर्भ में मूल आवेदकों की नियुक्ति के लिए अधिकारियों को परिणामी निर्देश जारी किए गए थे।

7. ट्रिब्यूनल के आदेश को सरकार ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। दिल्ली के एन. सी. टी. 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 557 में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत रियायत का लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे अन्य राज्यों के स्थायी निवासी थे। उत्तरदाताओं को अनारक्षित के तहत भी नहीं माना जा सका

इसी श्रेणी के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक होंगे।

8. हालांकि, विवादित आदेश के तहत उच्च न्यायालय ने कहा कि विज्ञापन में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था कम उत्तीर्ण अंकों के साथ सी. टी. ई. टी. योग्यता के आधार पर, सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए पात्र नहीं होंगे यदि उन्होंने सी. टी. ई. टी. परीक्षा में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए हैं। उच्च न्यायालय ने तदनुसार अभिनिर्धारित किया कि एक बार उम्मीदवार के सी. टी. ई. टी. योग्यता प्राप्त करने के बाद, अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक महत्वपूर्ण नहीं हैं। चूंकि उत्तरदाताओं का प्रदर्शन उससे अधिक मेधावी था

अनारक्षित श्रेणी में चुने गए अन्य लोगों के पक्ष में न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया और तदनुसार, अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया।

9.1 . अपीलकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को इस तर्क के साथ चुनौती दी कि प्रतिवादी ने पात्रता हासिल कर ली है

ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए शिथिल मानदंडों के तहत योग्यता सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के खिलाफ विचार किए जाने के योग्य हैं। सुश्री माधवी दीवान, भारत की विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रस्तुत करती हैं कि उत्तरदाताओं ने कम उत्तीर्णता के साथ पात्रता योग्यता प्राप्त की है

1 1 (2017) 1 एससीसी 350 [2019] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए शिथिल मानदंडों के तहत अंक, दिल्ली में सामान्य श्रेणी की रिक्तियों में रोजगार के लिए अयोग्य पाए गए। 9.2 . तथ्यों और विकास सांखला (सुप्रा) के अनुपात से निपटने के लिए सुश्री दीवान का तर्क है कि इस निर्णय को न्यायाधिकरण द्वारा तत्काल मामले में तथ्यों पर गलत तरीके से लागू किया गया था क्योंकि विज्ञापन No.01/13 के तहत वर्तमान भर्ती के लिए, केवल योग्यता

सी. टी. ई. टी. (अंकों के बजाय) का असर होगा, जबकि सी. टी. ई. टी. परीक्षा में अंकों का विकास सांखला (ऊपर) के मामले में भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ा। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सी. टी. ई. टी. के वर्तमान मामले में एक पात्रता योग्यता होने और सी. टी. ई. टी. में अंतिम योग्यता को प्रभावित करने वाले सी. टी. ई. टी. अंकों के बीच अंतर करते हैं।

चयन, जैसा कि राजस्थान में भर्ती प्रक्रिया में स्थिति थी। वह विशेष रूप से तर्क देती है कि विकास सांखला (उपरोक्त) में निर्णय उस मामले में भर्ती के विशिष्ट पहलू में दिया गया था और इसका अनुपात वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।

9.3 . विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह उम्र के आधार पर सी. टी. ई. टी. योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का मामला नहीं है छूट या शुल्क छूट जिस स्थिति में, सी. टी. ई. टी. परीक्षा में उत्तरदाताओं के अंकों का कोई असर नहीं हो सकता है। लेकिन जब उत्तरदाताओं ने सी. टी. ई. टी. परीक्षा में सामान्य उत्तीर्ण अंकों (60 प्रतिशत) से कम अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण किया था, तो उन्हें दिल्ली राज्य में सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए अयोग्य माना गया था।

10.1 इसके विपरीत, सुश्री ऐश्वर्या भाटी, विद्वान वरिष्ठ वकील

10.2 उत्तरदाताओं का अनुमान है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त किए तो सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए कुछ उम्मीदवारों का चयन किया गया और इसलिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार करने का मतलब होगा कि नियुक्ति के लिए योग्यता की अनदेखी की जा रही है। 10.3 उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण के फैसले का समर्थन करते हुए सुश्री भाटी का तर्क है कि विकास सांखला (ऊपर) में अनुपात सही था

भर्ती परीक्षा में अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्ति का दावा करने वाले मूल आवेदकों को राहत देने के लिए आवेदन किया गया।

जीओवीटी। एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस. वी. प्रदीप कुमार और ओआरएस।

[ऋषिकेश रॉय, जे।]

11. वर्तमान अपील में, हमें निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है -

मुद्देः

आई. क्या वे उत्तरदाता जिन्होंने सी. टी. ई. टी. हासिल किया है

ओ. बी. सी. उम्मीदवार के रूप में दिल्ली के बाहर योग्यता प्रपत्र का लाभ उठाकर

विशेष शिक्षा शिक्षक के पद के विरुद्ध रोजगार एन. सी. टी. सरकार, दिल्ली?

ii. क्या उत्तरदाता, ओ. बी. सी. श्रेणी के तहत रियायत प्राप्त करने के बाद अनारक्षित के तहत सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। श्रेणी?

12. यहाँ के अभिलेखों से पता चलता है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ['एन. सी. टी. ई.'] ने अधिसूचना दिनांक 23.08.2010 जारी की, जिसमें किसी व्यक्ति के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदान की गई थी।

शिक्षक के रूप में नियुक्ति। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के पद के लिए आवेदकों (अधिसूचना के निर्दिष्ट मानदंडों में आने वाले) को शिक्षक पात्रता परीक्षा ('टीईटी') उत्तीर्ण करनी होगी जो एन. सी. टी. ई. के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी। इस अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 1 के आदेश के अनुसार, एन. सी. टी. ई. ने टी. ई. टी. के संचालन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि टीईटी परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को टीईटी उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके अलावा, वंचित श्रेणी के व्यक्तियों को उनकी मौजूदा आरक्षण नीति के अनुसार रियायतें भी प्रदान की गईं। 13. शिक्षा निदेशालय, दिल्ली (अपीलकर्ता संख्या 3) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 07.10.2011 द्वारा कहा कि दिल्ली के स्कूलों में नियुक्ति के लिए, जीएनसीटी, दिल्ली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा आयोजित सीटीईटी को मान्यता देगा। दिनांक 30.11.2012 की एक अन्य अधिसूचना द्वारा, अपीलार्थी संख्या 3 ने निम्नलिखित को जोड़ाः

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 07.10.2011:

सी. बी. एस. ई. उम्मीदवारों को इस शर्त के साथ सी. टी. ई. टी. अंक विवरण जारी कर रहा है कि 60 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को सी. टी. ई. टी. योग्य माना जाएगा। इसके अलावा, एन. सी. टी. ई. ने अधिसूचना 29.07.2011 के माध्यम से विशेष रूप से प्रदान किया कि "[2019] 13 एस. सी. आर. में ढील।

उम्मीदवारों को योग्यता अंकों में 5 प्रतिशत तक की अनुमति दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ. बी. सी./पी. एच. जैसी आरक्षित श्रेणियों से संबंधित। इसलिए, आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवार जैसे -

एस. सी./एस. टी./ओ. बी. सी./पी. एच. को 5 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।

सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित सी. टी. ई. टी. में योग्यता अंक

" 9

14. के खंड 6 (iii) के तहत ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षण

विज्ञापन संख्या 1/13 प्रासंगिक होने के कारण, निम्नानुसार निकाला गया हैः

निर्धारित अनुलग्नक I, उसके जाति प्रमाण पत्र के साथ सरकार द्वारा जारी किया गया। केवल दिल्ली से।

15. दिल्ली भर्ती प्रक्रिया में, उत्तरदाताओं ने नहीं किया

उनके पास ओ. बी. सी. (दिल्ली) प्रमाण पत्र है और इस प्रकार उन्हें ओ. बी. सी. श्रेणी की रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, सी. टी. ई. टी. दिशानिर्देशों के अनुसार, अनारक्षित उम्मीदवारों को सी. टी. ई. टी. में अर्हता प्राप्त करने के लिए 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। चूंकि उत्तरदाताओं ने सी. टी. ई. टी. में 60 प्रतिशत से कम प्राप्त किया है, इसलिए उनकी उम्मीदवारी केवल ओ. बी. सी. श्रेणी के तहत मान्य हो सकती है। हालाँकि एन. सी. टी. सरकार द्वारा ओ. बी. सी. दर्जे का प्रमाण पत्र न होने के कारण,

दिल्ली और उपरोक्त खंड 6 (iii) के आधार पर, जो बाहरी ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण को रोकता है, उत्तरदाता आवेदन किए गए पद के लिए अयोग्य हैं। यदि वे न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ सी. टी. ई. टी. उत्तीर्ण करते हैं तो वे अनारक्षित रिक्तियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मान लीजिए, उत्तरदाताओं में से कोई नहीं दिल्ली के जी. एन. सी. टी. द्वारा ओ. बी. सी. के रूप में प्रमाणित हैं और न ही उनके पास विज्ञापन 1/13 के अनुसार एक स्तरीय परीक्षा के लिए योग्यता के लिए सी. टी. ई. टी. में आवश्यक 60 प्रतिशत अंक हैं और इसलिए अपीलार्थियों के तर्क का स्वीकार्य आधार है।

16. इस स्तर पर हमें विकास शंखला फैसले पर चर्चा करने की आवश्यकता है

कुछ विस्तार से उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण ने इस निर्णय के आधार पर प्रत्यर्थियों को राहत प्रदान की। राजस्थान से संबंधित विकास शाला में भर्ती, जहां सी. टी. ई. टी. परीक्षा में रियायत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित (या सामान्य) श्रेणी की रिक्तियों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई थी, यदि वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी थे।

17. अतः यहाँ इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए कि क्या

उपरोक्त मामला राजस्थान में उम्मीदवारों की भर्ती से संबंधित है। अपने गृह राज्य में रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा, स्थिति जीओवीटी पर लागू होगी।

एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस. वी. प्रदीप कुमार और ओआरएस।

[ऋषिकेश रॉय, जे।]

वर्तमान मामले में जहां अन्य राज्यों के उम्मीदवार शिथिल मानदंडों के तहत योग्यता प्राप्त कर रहे हैं, वे सामान्य श्रेणी के लिए इच्छुक हैं।

दिल्ली में रिक्तियां।

18. विकास सांखला (उपरोक्त) का निर्णय मामले में कुछ विशिष्ट तथ्यों के कारण लिया गया था। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में यह निर्धारित किया गया था कि प्रत्येक उम्मीदवार के अंतिम परिणाम की गणना का 20 प्रतिशत उम्मीदवार के टीईटी परिणाम के अंकों पर आधारित होगा। इस प्रकार, जिन उम्मीदवारों ने रियायत प्राप्त करने के बाद सी. टी. ई. टी. योग्यता प्राप्त की थी, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तुलना में कुल कुल में कम अंक प्राप्त किए थे, जो अनारक्षित श्रेणी में उपस्थित हुए थे और इस तरह की रियायत का लाभ नहीं उठाया था।

पास मार्क्स में। उन तथ्यों में, यह माना गया था कि 20 प्रतिशत घटक में परिणामी कम अंक आरक्षित उम्मीदवारों को दी जाने वाली पात्रता के लाभों को बेअसर कर देंगे, जिन्हें बाद में बिना किसी रियायत के अनारक्षित छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी और 20 प्रतिशत घटक में उनके नुकसान को भी दूर करना पड़ा। इस पहलू पर, न्यायालय की टिप्पणी निम्नलिखित थीः

..... एक बार इस अंतर को समझने के बाद, यह इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि टीईटी में उत्तीर्ण अंकों में छूट देने से आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को कोई रियायत उपलब्ध नहीं होगी

जहाँ तक भर्ती प्रक्रिया का संबंध है "।

19. उपरोक्त अंश भर्ती प्रक्रिया में समानता बनाए रखने के लिए न्यायालय की चिंता को प्रकट करते हैं। हालांकि, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में, प्रतिपूरक नुकसान या संतुलन कारक के अभाव में, विकास सांखला में अनुपात उत्तरदाताओं के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। जिन्होंने ओ. बी. सी. श्रेणियों को दी गई रियायत के आधार पर सी. टी. ई. टी. योग्यता प्राप्त की हो। दूसरे शब्दों में, दिल्ली भर्ती प्रक्रिया में रियायत लाभ को बेअसर नहीं किया जाता है। इस प्रकार, उस मामले के तथ्यों की विशिष्टता को ध्यान में रखे बिना विकास सांखला के अनुपात को अनुचित रूप से लागू करके एक समान खेल का मैदान और एक उचित व्यवहार प्राप्त नहीं किया जाता है, जहां एक अलग चयन मानदंड लागू किया गया था।

20. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, हालांकि विकास की प्रक्रिया के विपरीत दिल्ली में चयन प्रक्रिया के लिए छूट का कोई संतुलन नहीं था संखला के निर्णय के अनुसार, कैट ने उत्तरदाताओं को राहत देने के लिए राजस्थान मामले के अनुपात को गलत तरीके से लागू किया।

21.1 विकास सांखला में, न्यायालय ने कार्मिक विभाग द्वारा जारी किए गए दिनांकित 11.05.2011 परिपत्र के निहितार्थ पर विचार किया,

राजस्थान सरकार, (ए, Gr.II)। नहीं। No.F.7 (1) डीओपी/ए [2019] 13 एस. सी. आर.

II/99 जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा ली गई किसी भी रियायत के बावजूद स्पष्ट रूप से अनारक्षित श्रेणी में प्रवास की अनुमति देता है, यदि उसने पिछले अनारक्षित से अधिक अंक प्राप्त किए थे। श्रेणी उम्मीदवार जो चुना जाता है। लेकिन यहां कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी ओ. एम. एस. दिनांक 01.07.1998 और 04.04.2018 पर विचार किया जाएगा। विकास सांखला (उपरोक्त) में दिनांकित 11.05.2011 परिपत्र के विपरीत, सुश्री दीवान द्वारा संदर्भित दो ओ. एम. ने इस आशय के विशिष्ट निर्देश जारी किए कि जब आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के चयन में आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में अतिरिक्त अवसर आदि में एक शिथिल मानक लागू किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ गिना जाएगा।

21.2 बेहतर समझ के लिए, उपरोक्त उल्लिखित के निहितार्थ

ओम दिनांकित 01.07.1998 (संदर्भ। 36011 / 1 / 98 - ऐसा है। (आर. एस.), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय), प्रासंगिक भाग नीचे निकाला गया हैः

... . 3 .

इस संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ऐसे एससी/एसटी/ओ. बी. सी. जिन उम्मीदवारों का चयन उसी मानक पर किया जाता है जिसके लिए आवेदन किया जाता है

सामान्य उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा।

दूसरे शब्दों में, जब एक चयन में एक आरामदायक मानक लागू किया जाता है

एससी/एसटी/ओ. बी. सी. उम्मीदवार, उदाहरण के लिए आयु सीमा, अनुभव,

योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत अवसरों की संख्या, विचार का विस्तारित क्षेत्र जो प्रदान किया गया है उससे बड़ा है

सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार आदि, एससी/एसटी/ओ. बी. सी. उम्मीदवार हैं

आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध गणना की जाए। ऐसे उम्मीदवार

रिक्तियां।

21.3 इसी संदर्भ में, दूसरे ओ. एम. का प्रासंगिक भाग

दिनांक 04.04.2018 (Ref.No.F.No.43011/4/2018-अनुमान। ( )] कार्मिक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी), सार में दोहराते हुए, 01.07.1998 के पूर्ववर्ती O. M. में जो कहा गया था, उसे तैयार संदर्भ के लिए नीचे दिया गया हैः

..... के रूप में

.....

इस विभाग के OM No.36012/2/के माध्यम से जारी किए गए निर्देशों के अनुसार

96 - ऐसा है। (आर. एस.) दिनांक 02.07.1997, केंद्र सरकार की नौकरियों और सेवाओं में सीधी भर्ती में, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो जी. ओ. वी. टी.

एन. सी. टी. दिल्ली और ओ. आर. एस. वी. प्रदीप कुमार और ओआरएस।

[ऋषिकेश रॉय, जे।]

सामान्य उम्मीदवारों के लिए लागू मानकों पर चुने गए उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ समायोजित नहीं किया जाएगा। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार

डी. ओ. पी. एंड टी. ओ. एम. No.36011/1/98-एस्ट के माध्यम से। (आर. एस.) दिनांक 01.07.1998, केवल तभी जब आरक्षित उम्मीदवारों के चयन में एक आसान मानक लागू किया जाता है, उदाहरण के लिए आयु सीमा, अनुभव, योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत अवसरों की संख्या, आदि में, ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ गिना जाएगा।

22. दोनों ओ. एम. के उपरोक्त उद्धरण से यह काफी स्पष्ट है।

कि, विकास सांखला के विपरीत, उन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के अनारक्षित श्रेणी में प्रवास पर एक स्पष्ट प्रतिबंध है, जिन्होंने योग्यता सहित छूट का लाभ उठाया था। नुस्खा इसलिए विज्ञापन में सी. टी. ई. टी. की पात्रता को दिनांकित ओ. एम. 01.07.1998 की सामग्री को ध्यान में रखते हुए समझना होगा। विज्ञापन को वर्तमान तथ्यों में लागू करना सही नहीं होगा। वही ओ. एम. दिनांकित 01.07.1998 पर दीपा ई. वी. बनाम भारत संघ 2 में विचार किया गया था और हम महसूस करते हैं कि न्यायालय दिनांकित 01.07.1998 के ओ. एम. के दृष्टिकोण से सही था।

23. विकास सांखला (ऊपर) में दूसरा विशिष्ट पहलू यह है कि जिन उम्मीदवारों ने आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन किया था

वे राजस्थान के थे। उसी राज्य यानी राजस्थान से चयन और उम्मीदवारों के लिए, न्यायालय ने ऐसे उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में जाने की अनुमति दी। हालाँकि, वर्तमान मामले में, उम्मीदवार (यानी उत्तरदाता) दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के हैं। ओ. बी. सी. (बाहरी) होने के नाते, उन्हें केवल अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जा सकता था यदि वे सी. टी. ई. टी. में कम से कम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उन्हें 60 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ और इस प्रकार वे अयोग्य थे। इसके अलावा, एक ओ. बी. सी. उम्मीदवार जो दिल्ली के बाहर राज्य/क्षेत्र में प्रमाणित नहीं है, ओ. बी. सी. के लिए निर्धारित आरक्षित श्रेणी के पदों में रोजगार का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं हो सकता है जो दिल्ली सरकार द्वारा प्रमाणित हैं। 24. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उत्तरदाता सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस समूह के अन्य सभी लोगों ने उत्तीर्ण मानदंडों में कोई छूट प्राप्त किए बिना सामान्य उत्तीर्ण अंक हासिल करते हुए अपनी सी. टी. ई. टी. पात्रता योग्यता प्राप्त कर ली है। दूसरी ओर, उत्तरदाता सी. टी. ई. टी. परीक्षा में कम अंकों के बावजूद, केवल इसलिए अर्हता प्राप्त कर सके क्योंकि उन्होंने ओ. बी. सी. श्रेणी के उम्मीदवारों के रूप में छूट का लाभ उठाया था। उनकी पात्रता योग्यता ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए शिथिल मानदंडों के तहत सुरक्षित है और इसलिए हमें नहीं लगता कि यह उचित है।

2 (2017) 12 एससीसी 680 [2019] 13 एस. सी. आर.

उन्हें सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए योग्य मानना और इसके विपरीत विवाद अस्वीकार्य है।

25. शिथिल मानदंडों के तहत अपनी सी. टी. ई. टी. योग्यता वाले उत्तरदाता ओ. बी. सी. श्रेणी के पदों के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि उनके ओ. बी. सी.

यह स्थिति दिल्ली सरकार द्वारा प्रमाणित और मान्यता प्राप्त है। लेकिन ऐसा नहीं होने के कारण वे आरक्षित श्रेणी की रिक्तियों के लिए अयोग्य हैं। उन्हें स्थानांतरित करने और खुली श्रेणी की रिक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति केवल इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि उन्होंने ओ. बी. सी. श्रेणी से संबंधित लोगों के लिए उत्तीर्ण अंकों में छूट के साथ सी. टी. ई. टी. योग्यता प्राप्त कर ली है। जैसा कि उत्तरदाताओं ने सामान्य को सुरक्षित नहीं किया है

सामान्य श्रेणी के लिए उत्तीर्ण अंक, सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए उनकी पात्रता सुरक्षित नहीं है। इसलिए चयन परीक्षा में उनके प्रदर्शन की वर्तमान प्रक्रिया में कोई प्रासंगिकता नहीं होगी। 26. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, यह मामला उत्तीर्ण अंकों में रियायत के साथ प्राप्त योग्यताओं से संबंधित है। इस तरह की रियायत एक प्रत्यक्ष होगी

विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती में योग्यता और योग्यता के मानकों पर प्रभाव। भारत के संविधान के तहत आरक्षण के सिद्धांतों का उद्देश्य एक विशेष रूप से निर्धारित श्रेणी तक सीमित रहना है और योग्यता और योग्यता के कमजोर होने से बचने के लिए अनारक्षित श्रेणी की रक्षा की जानी चाहिए। यदि विकास सांखला (उपरोक्त) की व्याख्या इसके विशिष्ट तथ्यों से की जाती है, जैसा कि उत्तरदाताओं के वकील द्वारा सुझाव दिया गया है, तो यह हमारी धारणा में होगा, यह देखते हुए कि उत्तरदाताओं ने शिथिल मानदंडों के तहत योग्यता प्राप्त की है, अनारक्षित श्रेणी में योग्यता को कम कर देगा। इसलिए उत्तरदाताओं द्वारा इसके विपरीत दिए गए तर्कों को खारिज कर दिया जाता है।

27. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों को राहत देने में गलती की। उच्च का विवादित निर्णय दिल्ली न्यायालय ने 2019 की रिट याचिका (सी) संख्या 557 दिनांक 21.1.2019 को खारिज कर दिया है और इस अपील की अनुमति दी गई है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

अपील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी